कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2636355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/आवंटन/2017/1802–5/4003-4027 दिनांक :: 23 मार्च, 2017

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 15 मार्च, 2017 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–क पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बैठक में सचिव ने अवगत कराया गया कि गत प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 को आयोजित की जाकर उनका कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः गत बैठकों दिनांक 3 मार्च, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में गत बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में लिये गये निर्णयों को बैठक में पढ़कर सुनाया गया। दिनांक 3 मार्च, 2017 प्रस्ताव संख्या 39 का निर्णय इस प्रकार पारित किया गया कि प्रकरण प्राधिकरण की अधिकारिता में होने से कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्यकारी समिति के स्थान पर प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है, का संशोधन करते हुए दिनांक 3 मार्च, 2017 की कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 2 :: प्राधिकरण क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत ग्राम नान्दडी स्थित जयपुर, जोधपुर राष्ट्रीय राज्य मांग पर एल.सी. संख्या 165 पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु ग्राम पूंजला की अतिरिक्त निजी खातेदारी भूमि का अधिग्रहण बाबत।

(1) प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्राम नांदड़ी स्थित जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर एल सी संख्या 165 पर कार्यकारी एजेन्सी इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, जोधपुर द्वारा रेल्वे ओवर ब्रीज का निर्माण करवाया जा रहा है। कार्यकारी एजेन्सी ने अपने पत्र क्रमांक 440 दिनांक 6.7.2016 द्वारा निर्माणाधीन आर ओ बी हेतु सर्विस रोड़ के लिये ग्राम पूंजला की अतिरिक्त निजी खातेदारी भूमी को अधिग्रहण कर हस्तान्तरण करने हेतु अवगत करवाया गया था।

(2) इस संबंध में तहसीलदार (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट अनुसार निर्माणाधीन आर ओ बी हेतु सर्विस रोड़ के लिये तहसील, जोधपुर के ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 267 की निजी खातेदारी भूमी को खातेदारों से आम सहमति लेकर अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया। जांच के दौरान जानकारी हुई कि इन खातेदार द्वारा माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड संख्या 2 जोधपुर में दायर वाद संख्या 136/2016 अनवान मंगल सिंह वगैरह बनाम अरूण सांखला वगैरह तथा वाद संख्या

23.3.17

137/2016 वेदप्रकाश बनाम प्रबंधक इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, जोधपुर व अन्य में आर ओ बी पुलिया निर्माण के लिये सर्विस रोड बनाने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया तथा इन्ही खातेदारों ने नियमानुसार सर्विस रोड़ व माता का थान नाला निर्माण हेतु अवाप्ति के लिये माननीय न्यायालय में भी अपनी सहमति प्रदान की गई है। पटवारी (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से मौका फर्द रिपोर्ट ली जाकर निर्माणाधीन आर ओ बी के पीलर संख्या 6 से 17 तक अलाईमेंट में आने वाली भूमी का चिन्हिकरण व पेमाईस कर नक्शा तैयार किया गया एवं अधिग्रहण की जाने वाली भूमी का क्षेत्रफल निकाल कर जानकारी दी। इसी प्रकार अधिशाषी अभियंता, आर ओ बी, कनिष्ठ अभियंता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जूनीयर इन्जीनियर इरकॉन इन्टर नेशनल लिमिटेड, जोधपुर द्वारा हस्ताक्षरित पृष्ठांकित निर्माण हेतु भूमी का नक्शा बनाया जाकर प्रत्येक खातेदार की अधिग्रहण की जाने वाली भूमी का एरिया/क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकाला जाकर नक्शा तैयार किया गया। अवाप्त की जाने वाली भूमी पर स्थित भौतिक संरचनाओं खातेदार अरूण कुमार पुत्र जमीनीराम की बाउण्ड्रीवॉल, कमरा/दुकान एवं सीताराम पुत्र शिवराम का 2 कमरे/दुकान का क्षेत्रफल व नक्शा बनाया गया एवं अलग से उसका मूल्यांकन करवाया जाकर इस अवार्ड में शामिल किया गया है।

(4) निम्न खातेदारों द्वारा 1– सीताराम, मंगल सिंह पिता शिवराम जाति माली सा.देह. 2–अरूण सांखला पिता जमनीराम जाति माली, सा.देह 3–ब्रहम सिंह, नेमीचंद, परसराम, छतर सिंह पिता नरसिंह जाति माली, वेदप्रकाश पिता किशनलाल जाति माली सा. देह 4–गोकल सिंह, नरपत सिंह पिता बाबूलाल, संदीप, मुकेश पिता दलपत सिंह जाति माली निवासी सा. देह इन सभी ने सर्विस रोड़ हेतु ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 267 की भूमी को अधिग्रहण करने हेतु लिखित में सहमति प्रदान की तथा उक्त भूमी का भूमी अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवथापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत की जाकर इसमें दिये गये प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये जाने का अनुरोध किया है।

(5) वर्तमान अधिनियम 2013 के तहत् अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जाती है तो कम से कम एक वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना है। निर्माणाधीन आर ओ बी को समय पर निर्माण किया जाना आवश्यक है। अतः ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 267 के खातेदारों को समझाईश (नेगोशिऐशन) कर प्रस्तावित 1862.63 वर्ग मीटर निजी खातेदारी भूमी को प्राधिकरण अधिनियम 45 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जाना उचित समझा गया। उक्त निमार्णाधीन आर ओ बी के लिये सर्विस रोड़ हेतु प्रस्तावित ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 267 की निजी खातेदारी भूमी को प्राधिकरण बैठक दिनांक 9.9.2016 को एक प्रस्ताव रखा गया एवं प्रस्ताव संख्या 5 विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने हेतु अनुमोदित किया गया। इसी कम में इस कार्यालय के पत्र कमांक 980 दिनांक 28.9.2016 को एक प्रस्ताव बनाकर संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु भिजवाया गया। संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र कमांक प 8 (3) नविवि/1/2009 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा उक्त प्रकरण में प्राधिकरण अधिनियम के सेक्शन 45 के अनुसार प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

(6) ग्राम पूंजला की कृषि भूमी का मूल्यांकन निर्धारण हेतु उप पंजीयक द्वितीय, जोधपुर कार्यालय से 9.9.2016 को प्रभावी बाजार मूल्य/डीएलसी दर से अवगत कराने हेतु लिखा गया उनके द्वारा बतलाई गई बाजार मूल्य/डीएलसी दर निम्नानुसार दर्शाई जा रही है।

23.3.17

क.सं.	ग्राम का नाम	असिंचित अनुमोदित दर प्रति बीघा	सड़क के पास/सड़क से दूर प्रति बीघा	वि0वि0
01	पूंजला	उच्च मार्ग पर सीधे सम्पर्क पर	उक्त मार्ग पर सीधे सम्पर्क में नहीं परन्तु उच्च मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग तथा उनको जोड़ने वाले बाईपास पर स्थित 100 मीटर तक	
		5630625.00	5630625.00	—

नोट– 1 कृषि भूमी की दरें असिंचित भूमी की दरे है जहां भूमी सिचिंत होगी वहां पर उसी दर का दुगना कर मूल्यांकन किया जायेगा। राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर 100 व 200 मीटर की दरों में सिंचित व असिंचित एक समान दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
2 उक्त कृषि भूमी की दरे कृषि उपयोग में आने वाले भूमी की दरे है जहां पर भूमी अकृषि यानि की मौके पर आवासीय उपयोग या अन्य उपयोग उसी की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

(7) अतः ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 267 रकबा 1862.63 वर्ग मीटर भूमी को प्राधिकरण अधिनियम के सेक्शन 45 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जाना है एवं भूमी अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत वर्तमान बाजार मूल्य/डीएलसी दर के अनुसार संलग्न परिशिष्ठ 'अ' में गणना की जाकर भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

(8) भुगतान योग्य राशि का संक्षिप्त विवरण–

1	भूमी की कीमत (3478.40 वर्ग मीटर)	6478972..00
2	भौतिक संरचनाओं का मूल्यांकन	191100.00
3	पेड़ों का मूल्यांकन	—
4	योग–	6670072.00
5	100 प्रतिशत तोषण राशि	6670072.00
6	कुल योग–	13340144.00

(9) ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 267 कुल रकबा 1862.63 वर्ग मीटर निजी खातेदारी भूमी का कुल भुगतान योग्य राशि 13340144.00 अक्षरें रूपये एक करोड़ तैतीस लाख चालीस हजार एक सौ चवालीस मात्र एतद द्वारा पारित किया जाना है।

(10) प्राधिकरण भूमी अर्जन कर्ता तहसील, जोधपुर कार्यालय से सम्पर्क कर अवाप्त भूमी का लगान राशि का चालीस गुणा राशि का चालान प्राप्त कर राजकोष में जमा करायेगे एवं चालान की एक प्रति पत्रावली में शामिल करेगे। निजी खातेदारी भूमी का कब्जा लेने के उपरांत राजस्व अभिलेख में प्राधिकरण के नाम भूमी इन्द्राज करवाने की कार्यवाही करेगें। भुगतान एजेन्सी के मार्फत भूमी के मुआवजा राशि का चैक अदायगी कर सक्षम अधिकारी भूमी का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर कार्यकारी एजेन्सी को भूमी का कब्जा सुपुर्द करेगे। उक्त प्रस्ताव जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में भूमि अवाप्त कर मुआवजा जारी करने की अनुशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

23.3.17

प्रस्ताव संख्या 3 :: केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्तालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोधपुर के संचालन हेतु केन्द्रीय भवन हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।

अतिरिक्त आयुक्त (एल एण्ड बी) केन्द्रीय उत्पादक शुल्क के पत्रांक 3549 दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 8/2/2016 के पत्रानुसार 65661 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है। कार्यालय भवन हेतु 51182 वर्ग मीटर एवं 14479 वर्ग मीटर आवासीय कॉलोनी हेतु मांग की है।

पटवारी, उत्तर की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 119 रकबा 39.07 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि जोधपुर – जयपुर हाईवे पर स्थित है तथा ग्राम करवड के खसरा संख्या 453 रकबा 96.08 बीघा किस्म बारानी चतृर्थ भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि जोधपुर – नागौर रोड हाईवे के समीप करवड जाने वाली सडक पर स्थित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 119 ग्रम खोखरिया के मास्टर प्लान के अनुसार विभाग को भूमि आवंटन की अन्य सभी सुविधायें उपलब्ध है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में विचाराधीन एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में आवेदित खसरा संख्या 119 के भू–उपयोग के संबंध में आयोजना शाखा से रिपोर्ट मंगवायी गयी जिससे जाहिर है कि खसरा संख्या 119 ग्राम खोखरिया सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मास्टर प्लान के अनुसार है। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि का भू–उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होने के कारण भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है। अतः विभाग को लिखा जावे कि अन्यत्र भूमि चिन्हित कर आवेदन करें।

प्रस्ताव संख्या 4 :: आंगणवा में आवासीय योजना स्वीकृति करने के क्रम में।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ग्राम आंगणवा के खसरा नं. 63/1, 243/63/1 रकबा 5 बीघा की अपनी खातेदारी भूमि मे से पट्टा जारी करने की मांग की है। पूर्व मे उपरोक्त खसरान् का ले–आउट प्लान जोनल लेवल कमेटी की बैठक दिनांक 05.04.2013 को अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त खसरान् की भूमि के पास स्थित खसरा नं. 60/1 ग्राम आंगणवा की 23 बीघा 9 बिस्वा भूमि जो राजस्व जमाबंदी अनुसार प्राधिकरण के नाम दर्ज है मे से 5 बीघा 3 बिस्वा कब्जासुदा भूमि को खसरा नं. 63/1, 243/63/1 रकबा 5 बीघा मे खसरा नं. 60/1 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कुल 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि का संयुक्त रूप से ले–आउट प्लान अनुमोदन कर पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात् जोनल लेवल कमेटी की बैटक दिनांक 06.09.2013 मे खसरा नं. 60/1 की 5 बीघा 3 बिस्वा को खसरा नं. 63/1, 243/63/1 मे सम्मिलित कर कुल रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि का ले–आउट प्लान अनुमोदित किया गया।

चूंकि उपरोक्त भूमि मे राजकीय भूमि का खातेदारी भूमि से 103 प्रतिशत होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। इस संबंध मे राज्य सरकार से सक्षम अनुमति भी प्राप्त नही हुई है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.03.2016 को राज्य सरकार पत्र प्रेषित कर खसरा नं. 60/1 ग्राम आंगणवा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि को प्रार्थी को आवंटन नही किये जाने हेतु लिखा गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजकीय भूमि खसरा नं. 60/1 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि को छोडते हुए ग्राम आंगणवा के खसरा नं. 63/1, 243/63/1 रकबा 5 बीघा भूमि के पट्टे जारी करने की मांग की गयी थी।

23.3.17

इस संबंध मे आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार तहसीलदार (उतर) द्वारा ग्राम आंगणवा के खसरा नं. 60/1 रकबा 23 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमे से खसरा नं. 63/1, 243/63/1 के खातेदारान् कोजाराम पुत्र छैलाराम, देदाराम पुत्र ढगाराम, श्री राहुल पुत्र श्री मोहनलाल कटारिया की भी खसरा नं. 60/1 रकबा 5.03 बीघा कब्जासुदा भूमि भी सम्मिलित है। चूंकि खसरा नं. 60/1 रकबा 23 बीघा 9 बिस्वा भूमि राजस्व जमाबदी अनुसार प्राधिकरण के नाम दर्ज है का ले-आउट प्लान तैयार कर नवीन योजना प्रस्तावित की जानी है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि खसरा संख्या 60/1 ग्राम आंगणवा का परीक्षण कर नियमानुसार आवासीय प्रयोजनार्थ योजना तैयार कर आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: भूखण्ड संख्या 188, विवेक विहार योजना श्री आदुराम को आवंटित भूखण्ड को अतिरिक्त भूमि के संबंध में।

प्रार्थी श्री आदूराम पुत्र श्री रामनारायण को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या जी-188 क्षेत्रफल (418.06 व.मी) आवंटित किया गया था। मौका रिर्पोट अनुसार भूखण्ड कार्नर है जिसका क्षेत्रफल 128.60 व.मी. अधिक है। प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल (418.06 व.मी.) की राशि जमा करवाई जा चुकी है।

बैठक कार्यवाही कार्यकारी समिति दिनांक 23.04.2012 में कार्नर भूखण्डों हेतु आरक्षित दर से 150% राशि भूखण्ड की कीमत के रूप में वसूल करने का निर्णय लिया गया था। पूर्व बैठक दिनांक 5.8.2016 के प्रस्ताव संख्या 22 द्वारा समान्तर प्रकरण में राज्य सरकार को 100 वर्ग से अधिक नाप होने के कारण स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आयोजना शाखा के अनुसार सेट बैक छोडने के बाद अतिरिक्त भूमी में स्वतंत्र भूखण्ड नहीं बनता है। आवंटी को भूखण्ड का अतिरिक्त भूमी पर निर्णय के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि उपरोक्त प्रकरण में अतिरिक्त भूमि जिसका क्षैत्रफल 128.60 वर्ग मीटर है, लिहाजा उक्त प्रकरण में प्रस्तावानुसार राज्य सरकार को अनुशंषा सहित भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्डों की मूल पत्रावली गुम होने बाबत।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के लॉटरी में आवंटित भूखण्डों के मूल आवंटियों के भूखण्डों की पंजिका खो जाने के कारण प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 30.7.2014 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा निर्णय लिया गया कि समस्त कार्यवाही पूर्ण कर डुप्लीकेट

पत्रावली खोलने का निर्णय लिया गया। जिसकी अनुपालना में निम्न कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है–

क.सं.	भूखण्ड संख्या	आवंटी का नाम	सर्च नोट	गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज	समाचार माध्यम से आम सूचना का प्रकाशन	बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदन प्रस्ताव सं.
01	डी–721	महेश चन्द्र	311 / 29.8. 2014	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
02	ई–466	दीपमाला	4783 / 21.10. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
03	डी–101 7	वृजवल्लभ दाधीच	4783 / 21.10. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
04	डी–393	महेश बाबू बैरवा	4783 / 21.10. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
05	डी–391	यतीश चौधरी	4783 / 21.10. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
06	ई–479	भालाराम मेघवाल	4783 / 21.10. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
07	एम–535	रवि कुमार	4783 / 21.10. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
08	एल–488	प्रकाश जेठानंद	4783 / 21.10. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
09	एच–10	बाबूलाल टेलर	4783 / 21.10. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
10	जी–99	मोहनलाल	4783 / 21.10. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
11	डी–477	सुशील कुमार जांगीड	4783 / 21.10. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
12	डी–100 0	शैलेन्द्र सिंह बारठ	4783 / 21.10. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
13	जी–79	जसवंत सिंह	4783 / 21.10. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014
14	आई–14 3	राजू	300 / 26.8. 2013	2256 / 23.3.2015	1060 / 4.11. 2015	3 / 30.7.2014

अतः प्रार्थियों से गलत / आवंटन निरस्त नहीं होने बाबत् शपथ पत्र, एस.सी. / एस.टी. प्रमाण पत्र, सैनिक प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, प्रार्थी का 50,000 / – की आबादी में भूखण्ड नहीं होने का शपथ पत्र, राज्य कर्मचारी होने का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (तत्समय का प्रस्तुत किया जाना) मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक दस्तावेज लिया जाकर डुप्लीकेट पत्रावलियां बनाई गई है। उक्त डुप्लीकेट पत्रावली के आधार पर कार्यवाही के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित 14 प्रकरणों में डुप्लीकेट पत्रावली के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: भूखण्ड संख्या जी–22 पूर्वी पाल रोड योजना का भौतिक कब्जा नहीं देने के उपरान्त राजीव गांधी योजना में अन्य रिक्त भूखण्ड बाबत।

23.3.17

भूखण्ड संख्या जी–22 पूर्वी पाल रोड़ योजना जोधपुर का आवंटन दिनांक 4.8.1989 को श्री मोहन सिंह पुत्र डुंगर सिंह को दिया गया। आवंटी ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड बेचान के भूखण्ड का विक्रय श्री नृसिंह पुत्र श्री रिझूमल को कर दिया। क्रेता श्री नृसिंह ने उक्त भूखण्ड का आम मुख्त्यार श्री श्रवण कुमार सोलंकी पुत्र पांचूलाल को कर दिया गया तथा आम मुख्त्यार ने उक्त भूखण्ड को जरियेरजिस्टर्ड बेचान श्री पांचूलाल सोलंकी पुत्र स्व. श्री मगनाराम सोलंकी को कर दिया। भूखण्ड संख्या 22 सेक्टर जी पूर्वी पाल रोड़ योजना में खसरा विवाद होने के कारण उक्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा नही दिया जा सका। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.4.2011 के निर्णय की पालना में इसी योजना में सेक्टर आई बनाकर समान क्षेत्रफल का भूखण्ड संख्या 147 आवंटित कर दिया गया।

प्रार्थी ने राज्य आयोग उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान सर्किट बेंच, जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। अध्यक्ष जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण मंच, जोधपुर के निर्णय दिनांक 18.12.2015 में परिवादी को पूर्वी पाल योजना के भूखण्ड संख्या 147 के स्थान पर विवेक विहार योजना अथवा सुभाष नगर विस्तार योजना में नियमानुसार निलामी किये जाने वाले आवासीय भूखण्डों को छोड़कर अन्य कोई आवासीय भूखण्ड उपलब्ध हो तो परिवादी को भूखण्ड संख्या 147 के नाम व दर का भूखण्ड आवंटित करे तथा परिवादी व्यय पेटे 5000/–रूपये भी अदा करे। उपरोक्त दोनों योजना में उपरोक्तानुसार भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने पर परिवादी को राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड संख्या 147 के नाम व दर का भूखण्ड निर्णय तारीख से एक माह में आवंटित करे और राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटित करने की सूरत में परिवादी को मानसिक क्षति पेटे 50,000/– रूपये एवं परिवाद व्यय पेटे 5000/– भी अदा करे।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.4.2011 में निर्णय लिया गया कि उक्त सेक्टर के भूखण्डों को राजीव गांधी नगर योजना में आवंटी के सहमति से आवंटित किया जा सकता है।

श्रीमान विवेक विहार योजना में अभी तक अवार्डियों को आवासीय आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। सुभाष नगर विस्तार योजना नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जा चुकी है। अतः राजीव गांधी योजना में ही भूखण्ड आवंटन किया जा सकता है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत प्रकरण में विचार विमर्श से जाहिर है कि अध्यक्ष, जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण मंच के निर्णय दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 के अनुसार परिवादी को विवेक विहार योजना अथवा सुभाष नगर विस्तार योजना में उपलब्ध होने पर आवासीय भूखण्ड आवंटित किया जावे। परन्तु सुभाषनगर विस्तार योजना नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जा चुकी है एवं विवेक विहार योजना में अभी तक अवार्डियों को आवासीय भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है। लिहाजा निर्णय अनुसार परिवादी को राजीव गांधी नगर योजना में नियमानुसार समतुल्य भूखण्ड दिये जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: प्राधिकरण में एन.आई.सी./ एन.आई.सी.एस.आई. द्वारा कम्प्यूटराईजेशन का कार्य करवाने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में NIC/NICSI द्वारा कम्प्यूटरराईजेशन का कार्य फरवरी 2013 से किया जा रहा है।

NIC/NICSI भारत सरकार का विभाग है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में ई–गर्वनेंस को बढ़ावा देना है।

23.3.17

प्राधिकरण में किया गया अब तक का कम्प्यूटराईजेशन NIC/NICSI द्वारा संतोष जनक रहा है। वर्तमान में प्राधिकरण में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के ऑनलाईन आवेदन का कार्य, ऐक्शन जोधपुर मोबाईल एप्प, ऑनलाईन सर्विजेज (मानचित्र स्वीकृति, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, नाम हस्तांतरण, बेचान अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र), प्रोपटी रजिस्टर, नागरिक सुविधा केन्द्र, फाईल ट्रैकिंग सिस्टम, कम्प्यूटरराईज लॉटरी, अकाउण्ट सिस्टम, स्केनिंग आदि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण में उपरोक्त कम्प्यूटरईजेशन कार्य हेतु सालाना 150 लाख का बजट प्रोविजन है।

NIC/NICSI द्वारा वर्तमान में द्वितीय प्रोजेक्ट प्रोपजल (अक्टुबर 2015 से अक्टुबर 2018) के अनुसार कार्य किया जा रहा है। जिसमें NIC/NICSI द्वारा प्राप्त वार्षिक Performa Invoice अनुसार अग्रिम भुगतान किया जाता है।

अतः उपरोक्त कार्य अक्टुबर 2018 तक NIC/NICSI के मध्यम से करवाने का प्रस्ताव EC में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

एन.आई.सी. अधिकारी श्री रवि माथुर, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केन्द्र द्वारा चल रहे जेडीए कम्प्यूटराईजेशन के संबंध में वार्ता की गयी। जिसमें उन्होंने अवगत करवाया कि चल रहे प्राजेक्ट का भुगतान अक्टूबर, 2016 तक ही किया गया था जिसके पश्चात् आज दिनांकतक भुगतान नहीं किया गया।

कार्यकारी समिति की बैठक में वार्ता की गयी जिसमें यह निश्चित किया गया कि 40 लाख का भुगतान किया जाये। लेकिन बिना प्रफोर्मा इनवाईस भुगतान किया जाना संभव नहीं है। अतः इसके लिए 1 नवम्बर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की प्रफोर्मा इनवाईस एन.आई.सी. एस.आई. द्वारा जारी की जानी है तथा उसके प्रफोर्मा इनवाईस की राशि के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा।

चूंकि एन.आई.सी.एस.आई. से नवम्बर, 2016 से चालू माह मार्च, 2017 तक कार्य करवाया गया है अतएव यह निर्णय लिया गया कि प्रदत्त सेवाओं के लिए 1 नवम्बर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक एन.आई.सी.एस.आई. प्रफोर्मा इनवाईस मंगवाकर भुगतान किया जावे परन्तु साथ ही 1 अप्रैल, 2017 से सतत् सेवाओं के लिए पृथक से एजेण्डा नोट प्राधिकरण की बैठक में रखा जाये। एन.आई.सी.एस.आई. की मार्फत ली जाने वाली सेवाओं के अनुरूप समान कार्य की वेतन/ मानदेव विसंगति नहीं हो एवं विशेषज्ञ सेवा तथा साफ्टवेयर विकास एवं उन्नयन से संबंधित कार्य भी बाधित नहीं हो, प्रस्ताव तैयार किया जाकर वर्ष 2017–18 (1–4–2017 से 31–3–2018) तक प्रस्तावना रखी जाये।

प्रस्ताव संख्या 9 :: भूखण्ड संख्या जी–285, पूर्वी पाल रोड श्री जगदीश चन्द्र को जिला फोरम में मंच में अवमानना के तहत राजीव गांधी योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

श्री जगदीश चंद्र को तत्कालीन नगर विकास न्यास की योजना पूर्वीपाल रोड की लौटरी में भूखण्ड सं0 285 से0 जी में आवंटन हुआ था। भखण्ड का क्षेत्रफल 120 व.मी. का है। प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड की कीमत राशि (पूर्ण राशि) तत्कालीन न्यास कोष में जमा कराकर आवंटित भूखण्ड का लाइसेंस एवं साइट प्लान प्राप्त कर लिया था।

प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड की पूर्ण कीमत राशि एवं लीज राशि जमा कराने के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझे आवंटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिलवाया

23-3-17

जावे। भौतिक कब्जा हेतु तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता की पत्रावली पर रिपोर्ट की गई कि सेक्टर जी पूर्वीपाल रोड योजनाओं में खेती हो रही है। क्षेत्र विवादित है। नाप लेना संभव नहीं है।

प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं देने के कारण प्रार्थी ने जिलाफोरम मंच में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। जिलाफोरम मंच के निर्णय दिनांक 05/11/15 के अनुसार परिणामतः प्रार्थी का परिवाद अप्रार्थी के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आज से दो माह के भीतर–भीतर प्रार्थी को ईस्ट पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड सं० जी – 285 के बदले में राजीव गांधी नगर योजना में 120 वर्गमीटर का विवाद रहित भूखण्ड आवंटित कर लीज डीड जारी कर कब्जा सुपूर्द करें और मानसिक संताप का हर्जाना 5000 –/ रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) और परिवाद व्यय 3000/– (अक्षरे तीन हजार रूपये) भी अदा करें अन्यथा दो माह बाद उक्त 8000/– रूपये (अक्षरे आठ हजार रूपये) पर ताअदायगी 09 (नौ) प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा एवं जिलाफोरम के निर्णय की पालना में प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी को राजीव गांधी योजना में 120 व.मी. क्षेत्रफल का विवाद रहित भूखण्ड आवंटन करने में विफल रहा है। अतः प्रार्थी निर्णय की पालना के अभाव में अवमानना की न्यायालय से अपील की गई है। अतः अवमानना से बचने हेतु जिलाफोरम मंच के निर्णय की पालना में प्रार्थी को कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार राजीव गांधी नगर योजना में रिक्त भूखण्ड क्रमशः I– 761, I–746, I–726, I–732, B–209 एवं B–188 इसमें से एक भूखण्ड का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तावित है।

निर्णय

जिला उपभोक्ता फोरम मंच के निर्णय दिनांक 5 नवम्बर, 2015 के क्रम में प्रार्थी श्री जगदीश चन्द्र को पूर्वी पाल रोड योजना में भूखण्ड संख्या 285 जिसका क्षैत्रफल 120 वर्ग मीटर था, के बदले में समतुल्य आकार का भूखण्ड राजीव गांधी नगर योजना में दिये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त–पश्चिम जोधपुर विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार राजीव गांधी नगर योजना में 120 वर्ग मीटर का रिक्त भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से प्रार्थी श्री जगदीश चन्द्र को भूखण्ड संख्या बी–209 जिसका क्षैत्रफल 162 वर्ग मीटर है, को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही अतिरिक्त क्षैत्रफल की राशि समान आरक्षित दर से वसूल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: श्री चन्द्रशेखर अग्रवाल के माता जी श्रीमती गोपी को तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा राजबाग योजना में भूखण्ड संख्या 64–ए आवंटन करने बाबत शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदया को करने बाबत।

तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर के आवासीय येाजना राजबाग की योजना तैयार की गई थी। राजबाग आवासीय योजना की लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन किये गये थे। राजबाग योजना 59 बीघा 4 बिस्वा भूमि अधिग्रहण कर योजना तैयार की गई थी। योजना में श्री श्यामलाल ओझा द्वारा सिविल न्यायालयों में उक्त योजना की भूमि स्वयं की पट्टासुद जमीन मानते हुए वाद संख्या 66/1977 में दायर की गई थी। उक्त दोनो पक्षकार द्वारा एक राजीनामा न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो के राजीनामों को स्वीकृत कर डिग्री आदेश पारित किये गये थे। राजीनामा के अनुसार श्री श्यामलाल ओझा द्वारा पूर्व में बेचे गये 17 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 4800 वर्गगज है। उन सभी को नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा लाईसेन्स जारी करने की शर्त रखी है। जिसके अनुसार नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा श्री श्यामलाल ओझा के 12 परिवारों को लाईसन्स जारी किया गया। तथा 9 अन्य व्यक्तियों को भी लाईसन्स जारी किया गया जिसकी सूची संलग्न है।

23.3.17

श्री चन्द्रशेखर अग्रवाल द्वारा जाहिर किया कि राजबाग के भूखण्ड संख्या ए–64 का लाईसेन्स देने का पत्र मेरे माता जी श्रीमति गोपी के नाम से नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा कार्यलय आदेश – 239 दिनांक 1.6.1984 को राज बाग भुखण्ड संख्या 64 रजिस्टड बेचाननामा से हस्तान्तरण किया गया है। श्रीमति गोपी द्वारा उक्त भुखण्ड बुद्वि प्रकाश से खरीद किया गया था जबकि उक्त भूखण्ड नगर विकास न्यास जोधपुर के आदेश कमांक 1230–1234 दिनांक 16.8.1988 को श्री श्याम लाल पुत्र किशन लाल को भुखण्ड सख्या 63व64 सेक्टर –1 राजबाग में आवंटन का प्रार्थी को लिजडीड दी दिनांक 17.10.2001 को जारी कर दी गयी।

श्री चन्द्रशेखर अग्रवाल द्वारा प्रकरण नगर निगम जोधपुर ,विशेषाधिकारी मुख्यमत्री महोदय को पत्रांक 842–43 दिनांक 27.9.2016 को प्रेषित किया गया जिसके सम्बन्ध में नगर विकास विभाग जयपुर से निरन्तर फोन व फेक्स आदि आते है एवं उपरोक्त प्रकरण की तथ्यातमक रिर्पोट भिजवाने हेतु निदेशित किया जा रहा है। चुकि प्रकरण 34 वर्ष पुराना नगर विकास न्यास के समय का है।

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त योजना कि पत्रावलिया नगर निगम जोधपुर को हस्ताणतरित कि गयी है। तथा उक्त प्रकरण का क्षेत्र अधिकार नगर निगम जोधपुर का है। नगर निगम जोधपुर कि रिर्पोट के अनुसार प्रार्थी को अन्य भुखण्ड निगम द्वारा नही देकर प्राधिकरण जोधपुर से प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को पत्र लिखा एवंम सक्षम बैठक में निर्णय लिया गया है

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारर्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण सख्या 66/77 में हुऐ राजीनामें के अनुसार राजबाग योजना में श्री श्यामलाल ओझा द्वारा बेचे गये 17 व्यक्तीयों को तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा भुख्णड आवंटन किये जाने थे। जिसके कम में श्रीमती गोपी पत्नि श्री रामस्वरूप अग्रवाल को श्री श्यामलाल ओझा द्वारा 26.6.1972 को जरिऐ रजिरर्टड बेचाना नामे के राजबाग योजना स्थित भुखण्ड संख्या 115 हस्तान्तरित किया गया था जिसकी पुष्टि कार्यलय नगर विकास न्यास जोधपुर के कार्यालय आदेश कमांक 239 दिनांक 1.6.1984 की फोटो प्रति से होती है। वर्तमान में राजबाग योजना नगर निगम को हस्तान्रित की गयी है। श्रीमति गोपी के आममुख्त्यार एवं पुत्र श्री चन्द्रशेखर अग्रवाल ने माननीय मुख्यमत्रीं कार्यालय को नगर निगम जोधपुर एवंम जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में विभिन्न पत्राचार कर अवगत कराया है कि भुखण्ड सख्यां 64 ए तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा अन्य व्यक्ति को आंवटन कर दिया गया है। दुसरी ओर नगर निगम का कथन है कि प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा ही हल किया जाना है क्यो की उपरोक्त सम्पुर्ण कार्यवाही तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा की गयी है अतएव सर्व समिति से निर्णय लिया कि श्रीमती गोपी के प्रकरण में नियमानुसार परीक्षण कर उचित पाये जाने पर राजीव गाधी योजना में समतुल्य भुखण्ड आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के अनुसार पंचायत समिति तिंवरी को पंचायत समिति भवन हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।

विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी जोधपुर द्वारा नवीन आवंटन नीति–2015 के तहत प्रपत्र 'स' भरकर प्रस्तुत किया कि तिंवरी के खसरा नं. 761/22 रकबा 1534.12 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु 10 बीघा भूमि आवंटन करने की मांग की है।

23.3.17

नवीन आवंटन नीति–2015 के अनुसार पंचायत समिति कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.11.2016 के अनुसार किसी भी राजकीय भवन हेतु भूमि 1000 वर्गमीटर प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क आवंटन करने की शक्ति प्रदान की गई है। अतः पंचायत समिति द्वारा तिंवरी के खसरा नं. 761/22 में 10 बीघा भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है। अतः नवीन आवंटन नीति में पंचायत कार्यालय भवन हेतु कोई प्रावधान नहीं होने से प्राधिकरण स्तर पर भूमि आवंटन किया जाना संभव नहीं है। प्रकरण की आयोजना शाखा से मास्टर प्लान एवं भू–उपायोग की रिपोर्ट अपेक्षित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी द्वारा नवीन आवंटन नीति, 2015 के तहत पंचायत समिति भवन के लिए ग्राम तिंवारी के खसरा संख्या 761/22 रकबा 1534.12 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर भूमि में से 10 बीघा भूमि की मांग की गयी है, के संबंध में बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श गया एवं नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 4 जुलाई, 2016 जो कि सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को संबोधित है, में संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग ने यह अवगत कराया है कि प्राधिकरण के स्वामित्व की चारागाह भूमि पर बनायी गयी योजना के कियान्वयन को नियमानुसार लॉटरी निकाली जा सकती है साथ ही नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र दिनांक 12 अगस्त, 2016 के साथ ही संलग्न नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 में श्री जी.ई. वाहनवती, अटोर्नी जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत मार्गदर्शन के अनुसार एवं गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय के कम में प्रकरण में प्रकरण को इस टिप्पणी के साथ मय अनुशंषा राज्य सरकार को भिजवाये जाने का बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान मास्टर प्लान (2023) के बाहर ग्रामीण क्षैत्र में स्थित उक्त भूमि के आवंटन की नियमानुसार स्वीकृति के लिए भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: जिला उपभोक्ता मंच के आदेश दिनांक 14 मई, 2014 एवं राज्य उपभोक्ता मंच के आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 2016 के कम में।

प्रार्थी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश सांखला को राजीव गांधी योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 312 सेक्टर बी में आवंटन हुआ है। प्रार्थी को राजीव गांधी की बुकलेट शर्त संख्या 8 के अनुसार प्राधिकरण पत्रांक दिनांक 09.09.2010 के अनुसार प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड निरस्त किया गया था। प्राधिकरण पत्र में दर्शाया गया कि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड निरस्त करने के कारण प्रार्थी की आय, आय ग्रूप से आय कम होने से भूखण्ड निरस्त किया गया।

प्रार्थी को भूखण्ड निरस्त करने पर प्रार्थी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (द्वितीय) में प्रकरण संख्या 1113/12 (453/2011) को दर्ज किया गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (द्वितीय) का निर्णय दिनांक 14.05.2014 को आदेशित किया कि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या 312 सेक्टर बी राजीव गांधी योजना नियमानुसार देय दर 2210/– प्रतिवर्गमीटर की दर से राशि प्राप्त कर आवंटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा/लीज डीड निस्पादित करने की कार्यवाही करे तथा प्रार्थी को मानसिक सन्ताप हेतु 5000/– एवं परिवाद व्यय 2000/– प्रार्थी को अदा करने की कार्यवाही करे अन्यथा उपरोक्त राशि को दो माह तक नहीं करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से राशि देने का आदेश है।

उपरोक्त निर्णय की पालना में प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अपील राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बेच में की गई है। अपील संख्या 364/2014 दर्ज की गई है। जिस पर निर्णय लिया कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बेच द्वारा अपील खारिज की गई है।

23-3-17

प्रकरण में प्राधिकरण अधिवक्ता की राय दिनांक 01.12.2016 को प्रस्तुत की है जिसके अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच द्वितीय, जोधपुर के प्रकरण संख्या 1113/2012 (453/2011) प्रदीप कुमार बनाम अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण व अन्य तारीख निर्णय 14/05/2014 में विद्वान मंच यह आदेश फरमाया था कि अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से एवं पृथक पृथक रूप से निर्णय तारीख के दो माह के भीतर प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड बी–312 राजीव गांधी नगर योजना जोधपुर की नियमानुसार देय दर दिनांक 2210/– रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से राशि प्राप्त कर उक्त भूखण्ड का आवंटन/कब्जा सुपुर्द करने एवं लीज डीड जारी करने की कार्यवाही करें, इसके अलावा प्रार्थी को मानसिक संताप पेटे 5,000/– रूपये व परिवाद व्यय 2000/– रूपये पर अदायगी 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करे। उक्त निर्णय के विरूद्ध जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच जोधपुर में अपील प्रस्तुत की गई थी। यह है कि उक्त अपील को राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच जोधपुर द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

प्रकरण के सम्बध में विचार विर्मश किया गया न्यायलय के निणेयों का अवलोकन किया गया जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिषोद (द्वितीय) निर्णय दिनांक 14.05.2014 एंव राज्य उपभोक्ता प्रतिषोद आयोग जोधपुर के निर्णय दिनांक 23.09.2016 का अवलोकन किया गया। दोनो ही निर्णय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के विरूद पारित हुए है लिहाजा श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश को पूर्व मे भुखण्ड सं. बी 312 राजीव गांधी योजना जोधपुर को बहाल किया जा कर उक्त आंवटन के आरक्षित दर 130 प्रतिशत राशि 2210/– प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि वसुल कर नियमानुसार लीजडीड जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: अग्निकाण्ड में नष्ट हुई पत्रावलियों की डुप्लीकेट पत्रावली बनवाने बाबत।

दिनांक 4 अगस्त, 2016 को प्रातः 5.00 बजे प्राधिकरण कार्यालय के अभिलेख शाखा के कक्ष में अग्निकाण्ड हुआ, जिसकी जांच उपसचिव जोविप्रा जोधपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त अग्निकाण्ड की जांच करवायी गयी। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त अग्निकाण्ड में आग जानबूझकर लगाया जाना प्रतीत नहीं होता है।

रिपोर्ट के अनुसार अग्निकाण्ड में नष्ट/खराब हुई पत्रावलियों अनुसंलग्न (परिशिष्ट–2) के निम्नानुसार है। ऐसी पूर्णतय नष्ट हुई 1908 पत्रावलियां एवं आंशिक रूप से 2881 कुल लगभग 4989 पत्रावलियां पायी गयी एवं 90–ए की ऐसी पत्रावलियां जो पानी से भीग चुकी है कुल 2391 पत्रावलियां है। उक्त अग्निकाण्ड में जल /नष्ट हो चुकी है का डुप्लीकेट पत्रावलियां तैयार करवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस आशय का समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जावे की संबंधित आवेदकों से पूर्व में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जिनकी पत्रावलियां जल चुकी है उनसे दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर नयी डुप्लीकेट पत्रावलियां संधारित किया जाना उचित होगा।

प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

23.3.17

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में निर्णय लिया गया कि आंशिक रूप से नष्ट/खराब हुई पत्रावलियां जिनकी सूची के अनुसार संख्या 2881 है, जिनकी प्रमाणित सूची पत्रावली में संलग्न है, के संबंध में डुप्लीकेट पत्रावली बनाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे एवं प्रकरण को अनुशंषा सहित प्राधिकरण बैठक में अनुशंषा सहित रखा जावे। शेष ऐसी पत्रावलियां जो पूर्णतः नष्ट हुई है, उनकी भी सूची तैयार कर आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में उपरोक्तानुसार अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावे।

प्रस्ताव संख्या 14 :: श्री दिलीप सिंह राजवी को प्राधिकरण का पैनल अधिवक्ता एवं प्राधिकरण का स्टेण्डिंग काउन्सिल नियुक्त करने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांकःएफ42/विधि/जेडीए/72से144/15 दिनांक 02.02.2015 के द्वारा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न न्यायालयों में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं एंव सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी। इस आदेश के अनुसार 02 अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं 10 अधिवक्ता राजस्थान हाई कोर्ट के लिए एवं 27 अधिवक्ता विभिन्न राजस्व एवं अधिनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने के लिए नियुक्त किए गए थे, साथ ही 11 अधिवक्ता सहायक अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्त किए गए थे, साथ ही कुछ अधिवक्ताओं की नियुक्ति बाद में की गई थी। इन अधिवक्ताओं में से राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में 5–6 अधिवक्ताओं को प्राधिकरण की ओर से उच्च न्यायालय में पैरवी करने हेतु याचिकाएं/प्रकरण आवंटन किए जा रहे है। राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने हेतु ज्यादातर प्रकरण श्री दिलीप सिंह राजवी को आवंटित किए गए है। श्री राजवी ने कई जटिल प्रकरणों में प्राधिकरण के हक में निर्णय पारित करवायें है। अतः श्री दिलीप सिंह राजवी को पैनल अधिवक्ता के साथ–साथ प्राधिकरण की ओर से स्टेण्डिग अधिकवक्ता निम्न कारणों से किया जाना उचित होगा।

1. प्राधिकरण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित नहीं हो।
2. प्राधिकरण की ओर से स्टेण्डिग अधिवक्ता नियुक्त नहीं होने की वजह से कई बार उच्च न्यायालय अतिरिक्त महाधिवक्ता को नोटिसेज जारी किए जाते है यदि स्टेण्डिंग अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है तो न्यायालय द्वारा स्टेण्डिंग अधिवक्ता को बुलाकर नोटिस तामील करवाये जा सकते है एवं महत्वपूर्ण प्रकरणों में स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी कहा जा सकता है।
3. प्राधिकरण के सम्मुख कई जटिल विधिक प्रकरण प्रस्तुत होते रहते है जो ज्यादातर नियमों की व्याख्या से संबंधित होते है इन प्रकरणों में स्टेण्डिंग कॉन्सिल से राय प्राप्त की जा सकती है व अन्य प्रकरणों में भी विधिक राय प्राप्त की जा सकती है।

अतः श्री दिलीप सिंह राजवी को पैनल अधिवक्ता के साथ–साथ प्राधिकरण का स्टेण्डिंग कॉन्सिल प्रति माह 20,000/–रूपये पर नियुक्त किया जाना प्राधिकरण के हित होगा

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकरण का परीक्षण कर प्रकरण पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावेः–

1– क्या प्राधिकरणों में स्टेण्डिग अधिवक्ता नियुक्त किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान है?

2— जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में इस संबंध में क्या स्थिति है। यदि स्टेण्डिंग अधिवक्ता नियुक्त किये जाते हैं, तो उनको भुगतान किन नियमों के तहत व किस प्रकार किया जाता है?

प्रस्ताव संख्या 15 :: स्थाई लोक अदालत के आदेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 के कम में

न्यायालय स्थाई लोक अदालत जोधपुर (राज.) जनउपयोगी प्रकरण संख्या 10/2016 श्री ओमप्रकाश गहलोत द्वारा स्थाई लोक अदालत में शिकायत दर्ज करने पर प्रकरण माननीय लोक अदालत में दर्ज होकर निर्णय किया कि प्रार्थी द्वारा तत्कालीन नगर विकास न्यास वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना पूर्वी पाल रोड में पंजीकरण राशि 2,000/— जमा करवाये गये थे। जिसका रिफण्ड प्रार्थी द्वारा चाहा गया है।

स्थाई लोक अदालत में दिनांक 25.10.2016 को आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम आदेश पारित किया कि प्रार्थी द्वारा जमा राशि का रिफण्ड एवं ब्याज 24 प्रतिशत आवदेन पत्र की दिनांक से रिफण्ड करने का है। अतः प्रार्थी को जमा पंजीकरण राशि 2,000/— मय ब्याज 24 प्रतिशत रिफण्ड करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

स्थायी लोक अदालत प्रकरण संख्या 10/16 के आदेश कमांक दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 की पालना करने का निर्णय लिया गया था एवं तद्नुसार प्रार्थी को भुगतान की जाने वाली राशि की गणना संबंधित उपायुक्त के द्वारा करवाकर सचिव/आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से अनुमोदन करवाकर नियमानुसार भुगतान किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2016 के प्रस्ताव संख्या 24 में राजस्थान लोक उपापन प्रादर्शिता अधिनियम—2012 एवं नियम 2013 के संनिर्माण कार्य के अलावा समस्त प्रकार की सामग्रियों /स्टोर एवं सेवाओं हेतु कमेटियों का गठन करने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.01.2016 के प्रस्ताव संख्या 24 में प्रस्ताव दिया गया जिस पर निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार कमेटियां/समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया।

समिति के सदस्यों एवं वित्तीय स्तर का प्रस्ताव निम्न तालिका में प्रस्तुत हैः—

क्र. सं.	उपापन का वित्तीय स्तर	समिति के सदस्य				स्वीकृति अधिकारी
		1	2	3	4	
1.	5.00 लाख तक के उपापन	सबंधित प्रभारी अधिकारी	मुख्यालय के अधिशाषी अभियंता	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—द्वितीय	मुख्यालय के सहायक अभियंता	सचिव
2.	5.00 लाख से	सबंधित प्रभारी	अधीक्षण अभियंता	सहायक लेखाधिकारी	सचिव	आयुक्त

	अधिक एवं 25.00 लाख तक	अधिकारी		ग्रेड–प्रथम		
3.	25.00 लाख से अधिक	सबंधित प्रभारी अधिकारी	निदेशक अभियांत्रिकी	निदेशक वित्त	आयुक्त	कार्यकारी समिति

उपरोक्त शक्तियों का प्रयोजन (एसओपी) में है, अतएव संनिर्माण कार्यो के लिये (एसओपी) में अधिकृत कमेटियां उपापन कार्य करेगी अतः संनिर्माण कार्यो के अतिरिक्त समस्त प्रकार की सांमग्रियों, स्टोर्स एवं सेवाओं के उपापन हेतु उपरोक्त समितियों द्वारा किया जायेगा। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ / विचारार्थ प्रस्तुत है।

पूर्व निर्णय

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2016 के प्रस्ताव संख्या 24 के भाग–तृतीय जिसमें उपापन का वित्तीय स्तर 25.00 लाख रूपये से अधिक होने पर उक्त समिति के सदस्य निम्नानुसार बनाये गये थे:–

1– संबंधित प्रभारी अधिकारी, 2– निदेशक– अभियांत्रिकी, 3– निदेशक–वित्त, 4– आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं स्वीकृत अधिकारी कार्यकारी समिति।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त समिति में आंशिक संशोधन करते हुए 25.00 लाख से अधिक के उपापन के मामलों में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को भी सदस्य के रूप में जोड़े जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 677 में जोधपुर विकास पाधिकरण, जोधपुर की नवीन आवासीय योजना लांच करने बाबत।

राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम जोधपुर का खसरा संख्या 677, रकबा 167–05 बीघा, किस्म गै.मु. आबादी, वर्तमान में प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्राधिकरण के तहसीलदार एवं पटवारी से रेकर्ड एवं मौके की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट आवंटन आवंटन शाखा से प्राप्त सूची अनुसार उक्त खसरे में से लगभग 105 बीघा भूमि विभिन्न विभागों को आवंटित की जा चुकी है। उक्त खसरे में विभिन्न विभागों को भूमि आवंटन के पश्चात् लगभग 62 बीघा भूमि प्राधिकरण के खाते में शेष रहती है। तहसीलदार व पटवारी ने वर्तमान मौका–स्थिति अनुसार मौके पर लगभग 40–45 बीघा भूमि रिक्त उपलब्ध बतायी है। उक्त भूमि एक जगह उपलब्ध न होकर 2–3 जगह टुकड़ों में उपलब्ध है, जिस पर बबूल वगैरह ऊगे हुए है। एक–दो जगह अतिक्रमण भी है। उपरोक्त अतिक्रमणों को हटाये जाने हेतु तथा इस खसरे में साफ–सफाई करवाने व मौके पर ऊगे हुए बबूल, झाड़ियों इत्यादि को हटाने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार व अधिशाषी अभियन्ता को निर्देशित किया जा चुका है। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवेदित स्थल का भू–उपयोग आवासीय एवं उत्तर दिशा का पार्ट सरकारी आरक्षित क्षेत्र हेतु आरक्षित है। प्राधिकरण द्वारा यदि इस भूमि पर कोई आवासीय कॉलोनी काटकर अथवा नीलामी के जरिये विक्रय किया जावें, तो प्राधिकरण को अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। अतः उक्त भूमि पर प्राधिकरण की आवासीय योजना लांच किये जाने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

23-3-17

निर्णय

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 677 रकबा 167-05 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी में से 45 बीघा भूमि रिक्त है एवं मास्टर प्लान में आवेदित स्थल उपरोक्त स्थल का भू-उपयोग आवासीय एवं उत्तर दिशा में पार्ट सरकारी आरक्षित क्षेत्र हेतु आरक्षित है। लिहाजा बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण द्वारा आवासीय भू-उपयोग क्षेत्र के लिए आवासीय योजना तैयार कर आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने की अनुशंषा की गई।

प्रस्ताव संख्या 18 :: ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 3 में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की नवीन आवासीय योजना लांच करने बाबत।

राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम ढण्ढ का खसरा संख्या 3, रकबा 19 बीघा, किस्म गै.मु. ओरण, वर्तमान में प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्राधिकरण के तहसीलदार एवं पटवारी की अद्यतन मौका-रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि में से 232.25 वर्गमीटर भूमि जी.एस.एस. हेतु आवंटित की जा चुकी है। शेष भूमि के लगभग 5-6 बीघा भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा आवासीय मकानों का निर्माण करवाकर अतिक्रमण किया गया है तथा 1 मंदिर भी निर्मित है। उक्त खसरे में से लगभग 12-13 बीघा भूमि मौके पर रिक्त है। वर्तमान में उक्त भूमि पर बबूल की झाड़ियां वगैरह ऊगी हुई है। उक्त भूमि मुख्य झालामण्ड रोड़ पर नवदुर्गा कॉलोनी के पास स्थित है। उपरोक्त अतिक्रमणों को हटाये जाने हेतु तथा इस खसरे में साफ-सफाई करवाने व मौके पर ऊगे हुए बबूल, झाड़ियों इत्यादि को हटाने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार व अधिशाषी अभियन्ता को निर्देशित किया जा चुका है। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवेदित स्थल का भू-उपयोग आवासीय आरक्षित है। प्राधिकरण द्वारा यदि इस भूमि पर कोई आवासीय कॉलोनी काटकर अथवा नीलामी के जरिये विक्रय किया जावें, तो प्राधिकरण को अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। अतः उक्त भूमि पर प्राधिकरण की आवासीय योजना लांच किये जाने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम ढण्ढ का खसरा संख्या 3 रकबा 19 बीघा किस्म गैर मुमकिन औरण में से लगभग 13 बीघा भूमि रिक्त है जिसक प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार मास्टर प्लान 2023 के क्रम में भू-उपयोग आवासीय आरक्षित है। संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 12 अगस्त, 2016 एवं तत्कालीन अटार्नी जनरल ऑफ इण्डिया के राय के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3 (821) नविवि/3/2012 दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 एवं सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को प्रेषित संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 4 जुलाई, 2016 के क्रम में योजना तैयार कर अग्रिम कार्यवाही करने के लिए हाल ही में डी.बी.सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल.) संख्या 1554/04 गुलाब कोठारी विरूद्ध राज्य के क्रम में भूमि की किस्म गैर मुमकिन औरण होने के कारण प्रथमतः राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त की जाये, बाबत निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 707 व 847 में जोधपुर विकास प्राधिकरण की नवीन आवासीय योजना लांच करने बाबत।

राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम झालामण्ड का खसरा संख्या 707, रकबा 46-16 बीघा, किस्म गै.मु. गोचर एवं खसरा संख्या 847, रकबा 6-10 बीघा, किस्म गै.मु. गोचर, वर्तमान में प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्राधिकरण के तहसीलदार एवं पटवारी की अद्यतन मौका-रिपोर्ट

23.3.17

अनुसार उक्त दोनों खसरों की कुल भूमि क्र मशः 46–16 + 6–10 = 53–06 बीघा भूमि वर्तमान में मौके पर खाली है। इस भूमि के चारों तरफ आवासीय कॉलोनियॉ कट चुकी है तथा कुछ मकानात् भी बने हुए है। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 707 तथा 847 का भू–उपयोग, वर्तमान में प्रचलित मास्टर प्लान अनुसार आवासीय आरक्षित है तथा खसरा संख्या 707 के अन्दर से प्रस्तावित सड़क गुजर रही है। प्राधिकरण द्वारा यदि इस भूमि पर कोई आवासीय कॉलोनी काटकर अथवा नीलामी के जरिये विक्रय किया जावें, तो प्राधिकरण को अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। अतः उक्त भूमि पर प्राधिकरण की आवासीय योजना लांच किये जाने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 707 व 847 रकबा कमश+ 46.16 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर एवं रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गौचर जो वर्तमान में प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवं प्रचलित मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है, को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय के पत्र कमांक प.3 (821) नविवि/3/2012 दिनांक 12 अगस्त, 2016 इसी कम में जारी परिपत्र कमांक प.3 (821) नविवि/3/2912 दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 एवं संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प. 6 (121) नविवि/ अविप्रा/ 2015 पार्ट दिनांक 4 जुलाई, 2016 के कम में योजना तैयार कर अग्रिम कार्यवाही करने के लिए हाल ही में डी.बी.सिविल रिट पिटीशन (पी. आई.एल.) संख्या 1554/04 गुलाब कोठारी विरूद्ध राज्य के कम में भूमि की किस्म गैर मुमकिन गौचर होने के कारण प्रथमतः राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त की जाये, बाबत निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या 46/आवंटन मूल/E/C बैठक/16 कार्यकारी समिति की बैठक) के पैरा संख्या 49/एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है)

23.3.17
(अरूण पुरोहित)
सचिव

कमांक/आवंटन/2017/1802–5/4003–4027 दिनांक ::23 मार्च, 2017

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
05. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर

4003 – 4527
23/3/17

11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी / नियोजन / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I / II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

23.3.17
(अरूण पुरोहित)
सचिव

परिशिष्ट–क

दिनांक 15 मार्च, 2017 को प्रातः 11.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री देवाराम सुथार, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
2.	श्री प्रकाश चौधरी, अतिरिक्त कलक्टर–शहर, जोधपुर
3.	श्री श्रीमन लाल मीणा, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस (पूर्व), जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
4.	श्री आर.एन. विश्नोई, अधिशाषी अभियन्ता–सिटी, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
5.	श्री अनिल शर्मा, तकनीकी सहायक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
6.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल, अधिशाषी अभियन्ता– सीडी III, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
7.	श्री नरेन्द्रसिंह राठौड, प्रबन्धक यातायात, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
8.	श्री अतुल बल रत्नू, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री कन्हैयालाल चौहान, निदेशक--अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री नरपतसिंह शेखावत, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11.	श्री संदीप दण्डवते, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री देवेन्द्रसिंह भाटी, सहायक वन संरक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्री चैनसिंह चम्पावत, तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, उप निरीक्षक पुलिस, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला जोधपुर –ग्रामीण (प्रभारी जिला विशेष शाखा)
15.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव